भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2435

दिनांक 17/03/2021/26, फाल्गुन,1942 (शक) को उत्तर के लिए

राजभाषा समिति की सिफारिशें

2435 # श्री हरनाथ सिंह यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या माननीय राष्ट्रपति जी ने राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत राजभाषा समिति के आठवें प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफारिश संख्या 5 स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उपरोक्त सिफारिश में यह प्रावधान निहित है कि मंत्री और उच्च पदस्थ अधिकारी अपने भाषण, वक्तव्य राजभाषा, हिंदी में देंगे; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए कोई ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) जी हाँ, महोदय।

(ख) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत 8वें खंड की संस्तुति संख्या 5 में मंत्री और उच्च पदस्थ अधिकारियों के भाषण/वक्तव्य का उल्लेख नहीं है।

हालांकि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत 9वें खंड की संस्तुति संख्या 105 में सिफ़ारिश की है कि सर्वोच्च राजकीय पदों पर बैठे सभी को, विशेषकर जिन्हें हिंदी बोलनी और पढ़नी आती है, वे अपने भाषण/वक्तव्य हिंदी में ही दें या पढ़े इसका आग्रह करना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति ने इस संस्तुति को स्वीकार किया है।

(ग) उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना की है। माननीय राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संसदीय राजभाषा समिति के 9वें खंड की संस्तुति संख्या 105 में निहित भावना आग्रह की है न कि अनिवार्यता की।

सिफ़ारिशों पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं तथा उनकी समीक्षा भी की जाती है।

******